(143)

(267)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R.1324-तीन/13

C.F. Rs 20/-

1- रामसजीवन पाल तनय श्री अजायबलाल पाल, उम्र 55 साल, पेशा-खेती
निवासी ग्राम अमिलिया, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म0प्र0)-

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- रामबदन तनय जवाहरलाल उम्र 52 वर्ष,

2- चिंतामणि तनय श्री जवाहरलाल उम्र 60 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम अमिलिया, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा म0प्र0-

----अनावेदकगण

तहसीलदार, वृत्त रायपुर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा द्वारा प्र0क्र0 135/2011-12, में पारित आदेश दिनांक 19/11/2011 के विरुद्ध निगरानी याचिका, अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता ।

R-1324-III/13

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

1- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि रामप्यारे के दो लड़के जवाहरलाल व अजायबलाल थे, जिनके बीच बटनवारा 30-35 साल पहले हो गया था। जवाहरलाल के दो पुत्र चिंतामणि व रामबदन हैं, जो इस प्रकरण में अनावेदक के रूप में पक्षकार हैं। अजायबलाल के दो पुत्र रामसजीवन व सुखलाल हैं, रामसजीवन की ओर से ही यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। मूल खसरा क्रमांक 83 रकवा 20.68ए0, स्थित ग्राम अमिलिया, तहसील - त्यौंथर, जिला रीवा बटनवारे में 1/2 हिस्सा जवाहरलाल को और 1/2 हिस्सा अजायबलाल को प्राप्त हुये थे। खसरा क्रमांक 83 में बटांकन बहुत पहले हो गया था, बटांकन के पश्चात ख0क्र0 83/1 रकवा 5.17ए0, निगरानीकर्ता रामसजीवन के नाम, 83/2 रकवा 5.17ए0, सुखलाल के नाम, 83/3 रकवा - 5.17ए0, चिंतामणि के नाम, तथा 83/4 रकवा 5.17ए, रामबदन के नाम -

(143)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1324-III/12 जिला रीवा

रामसजीवन पाल विरूद्ध रामबदन

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री अवधेश सिंह अधिवक्ता के द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील त्योंथर (वृत्त रामपुर) के प्रकरण क्रमांक 1/अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-11-11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	